वक्ता को 2/303/2022

तारीख रजू ....

घीसाराम ....बनाम.......... ओमकार वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
28.10.2022	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकील सायला ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के,पक्ष में बखूबी सावित है। अतः उभयपक्षकारान् को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 194/1, 197, वाके ग्राम कालवाडी तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात मे प्रार्थी के हिस्से तक रिकॉर्ड एवं मौके कि यथास्थिति बनाये रखें। चूंकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है ऐसे में अप्रार्थी में से किसी के उपस्थित होकर वहस के लिए कहने पर वकील प्रार्थीगण को अनिवार्यत बहस करनी होगी, एवं तलवी नही भरने पर अन्यथा एक्सपार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समक्षा जावें। अप्रार्थीण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 15.11.2022 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थी जरिये नोटिस रजि0 डाक से तलब होकर पत्रावली दिनांक 15.11.2022 को वास्ते तलबी अप्रार्थी पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज0	
15.11.2	वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी संख्या-1 की ओर से श्री बृजेश कुमार मीणा एड0 ने वकालतनामा पेश किया। जवाब को समय चाहा गया। पत्रावली वास्ते जवाब व [illegible] की तलबी [illegible] को पेश हो।	
5/11/2	~~वकील प्रार्थी~~ ....उपस्थित। स्थगन आदेश दिनांक 5/11/2 की पालना में पत्रा. भी वास्ते [illegible] व जवाब [illegible]। दिनांक 6/11/2 .... को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	

5/1/23

प्रार्थी उपस्थित।
आगामी आदेश दिनांक 6/12/22
की पत्रावली पेश हो। वास्ते शेष कार्यवाही आदि
दिनांक 16/1/23 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

16/1/23

वकील प्रार्थी उपस्थित।
आगामी आदेश दिनांक 6/1/23
की पत्रावली पेश हो। वास्ते शेष कार्यवाही आदि
दिनांक 13/2/23 को पेश हो व प्रार्थी उपस्थित हो।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

13/2/23

पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप० नहीं आये। वकील व उनके प्रार्थी को बार-2 आवाज दिलाई गई कोई उप० नहीं आया। समय 5:30 हो गया है कोई उप० नहीं आया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र वास्ते वकील प्रार्थी के अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली में मन शुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न रखी जावे।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०